न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्री अमीलाल यादव आर. ए. एस.

न. मु. 03 / 2025

निर्णय दि. 29/7/25

1 गणपतसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू

बनाम

1. डूंगरसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
2. प्रतापसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
3. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा सुजानगढ जिला चूरू
4. शाखा प्रबन्धक, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा सुजानगढ जिला चूरू
5. उप पंजीयक अधिकारी उप तहसील कातर छोटी जिला चूरू
6. उप पंजीयक अधिकारी बीदासर जिला चूरू
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 वा 2 संपठित धारा 151 सी. पी. सी.

इस आदेश द्वारा प्रार्थी गणपतसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. का निस्तारण किया जा रहा है। संक्षेप में हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य इस प्रकार है :–

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 643 / 535 तादादी 7.9673 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम उन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है उक्त भुमि का मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है मौखिक विभाजन के मुताबिक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 अपने अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 का खान–पान, लेन–देन, सब अलग–अलग है वादगत खेत की खातेदारी संख्या राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए प्रार्थी को कानूनी अधिकार प्राप्त है प्रार्थी ने दिनांक 25 / 12 / 2024 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक पृथक राजस्व रेकार्ड में अकित कराये। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 साफ इन्कार हो गये है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने प्रार्थी को ऐलानियां तौर पर धमकिया

लगातार..2

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू
सत्यमेव जयते

दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके प्रार्थी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफिया लोगों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेंगे, जबकी ऐसा करने का अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 को अपने गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्की भयंकर असुविधा होगी। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 को वर्जित करावे कि वोह प्रार्थी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत भूमि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग की होने से प्रार्थी को वादाधार प्राप्त है अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की एलानियां धमकियां से प्रार्थी को वाद हेतुक प्राप्त है राज्य सरकार भू धारक है जो प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतिंयों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूर्तीय क्षति भी प्रार्थी को हो रही है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है आदि आदि प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रार्थी के पक्ष स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के विरूद्व ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधज्ञा जारी कर वर्जित फरमाया जावे कि प्रार्थी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 643/535 तादादी 7.9673 हैक्टैयर वाके रोही ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है तब तक प्रार्थी को उनके कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा ना तो स्वयं करें ओर ना ही किसी अन्य का करायें ओर ना ही प्रार्थी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधायें या रूकावटें आदि पैदा स्वयं करें या किसी अन्य से कराये ओर ना ही किसी प्रकार से विक्रय, दान, वसीयत, रहन, हस्तांतरण आदि करें, जिससे प्रार्थी के वैध कानूनी अधिकारों के विपरीत असर पडे और ना ही कोई पक्का निर्माण कार्य करें जिससे मौका की स्थिती में परिवर्तन आये तथा अप्रार्थीगण मौका व रेकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे आदि आदि अनुतोष चाहा।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निशेधाज्ञ प्राप्ती अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी गणपतसिंह को एक पक्षीय सुना जाकर दिनांक 07.01.2025 को अप्रार्थीगण के विरूद्व आदेश अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का जारी किया गया। अप्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्व हेतुक दर्शित करने हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रथम तारीख पेशी दिनांक 6.02.2025 को अप्रार्थी सख्या 01 की और से एक प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

151 सी. पी. सी. व मूल प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 20.3.2025 को अप्रार्थी स. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 3 (क) (ख), 3क व 4 सपठित धारा 151 सी. पी. सी. तथा दस्तावेज मय फहरिस्त फार्म प्रस्तुत। अप्रार्थी स. 1 डूँगरसिंह द्वारा दिनांक 24.03.2025 को एक प्रार्थना पत्र वास्ते मिशल पेशी से पूर्व सुनवाई में लेने बाबत प्रस्तुत किया गया। शिघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया। दिनांक 27.5.2025 को वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सी. पी. सी. प्रस्तुत। जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा सहमति प्रकट करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार कातर छोटी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। दिनांक 18.06.2025 को मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा के तथ्यों को इन्कार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया कि "प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में जिस प्रकार तथ्यों को वर्णित किया गया है गलत है प्रार्थी का मूल वाद पूर्णतया बेबूनियाद मनगढत कथनों को वर्णित करते हुए पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी को कतई सफलता मिलने की गुजाईश नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 2 वादाधीन भूमि के राजस्व रेकार्ड एवं पक्षकारान हक हिस्से की हद तक स्वीकार है। प्रार्थी का कथन कि उक्त भूमि वादगत है गलत है भूमि शामलाती रूप से अवश्य दर्ज है मौके पर वर्षो पूर्व से वास्तविक एवं भौतिक रूप से अपने अपने हक हिस्सा भूमि व बंटसुदा भूमि का पक्षकारान् वर्षो पूर्व से पारिवारिक स्तर पर मौखिक रूप से बंटवारा कर अलग अलग कब्जा काश्त कर रहे है एवं अलग अलग सींवे नींवे कायम कर रखी है तथा अपनी रहवासी ढाणीयां भी अपने अपने हक हिस्सा व बंटसुदा भूमि में बनाकर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार वर्णित किया गया है सही होने के कारण स्वीकार है यहां यह उल्लेख किया जाना भी उचित है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र अधीन भूमि कि 1/3 हिस्सा भूमि उतरी तरफ की अप्रार्थी जवाबदाता डूंगरसिंह के बंट हक हिस्सा कबजा काश्त अधिपत्यशुदा है तथा दक्षिणी पूर्वी तरफ की भूमि प्रार्थी गणपतसिंह के हक हिस्सा बंटसुदा है एवं दक्षिणी पश्चिमी तरफ की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 प्रतापसिंह के बंट हक हिस्सा व कब्जा आधिपत्य की है उपरोक्त तीनों दर्ज खातेदारान् द्वारा अपने हक हिस्सा भूमि में पक्की रहवासीय ढाणीयां बनाकर अलग अलग सींव नींव कायम कर कब्जा काश्त कर रहे है अप्रार्थी जवाबदाता के बंट हक हिस्सा कब्जा आधिपत्य में उतरी तरफ की 1/3 हिस्सा भूमि बंट कब्जा आधिपत्य कि है जिसके चारो ओर पुख्ता मेडबंदी डोलबंदी व कुदरती पैदावार झाड झंझाड आदि की मौके पर कायमी हालात में होकर मौजूद भी है एवं पूर्व में उक्त भूमि में पुराना ट्यूबवैल अनुपयोगी मौके पर मौजूद है। उक्त प्रार्थना पत्र अधीन भूमि का बंटवारा काउंटर वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुरूप दर्शित किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र का वाद संख्या 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है कपोल कल्पित मनगढत कथनों का वर्णन किया है प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वच्छ मन व हाथों से पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने कभी भी अप्रार्थी जवाबदाता से उपरोक्त भूमि का विधिवत विभाजन करवाने का निवेदन नहीं किया है तथा प्रार्थी कि मंशा उक्त शमालाती भूमि का विधिवत

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

विभाजन करवाने कि होती तो वाद व प्रार्थना पत्र अधीन भूमि का मौके पर विभाजन अनुसार हक हिस्सा बंट भूमि को दर्शित करते हुए वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता प्रार्थी जानबुझकर प्रकरण को लम्बित करने कि नियत से उक्त मद में झूठे कथन वर्णित किये गये है तथा प्रार्थना पत्र अधीन भूमि का वर्तमान में दर्ज खातेदारान द्वारा अपने अपने हक हस्सा भूमि का अलग अलग कब्जा काश्त वंट अनुसार कर रहे है उक्त भूमि सम्पूर्ण एक ही किस्म की है जो रेकार्ड में भी दर्ज है हां यह अवश्य है कि पक्षकारान् अपने अपने हक हिस्सा भूमि को कडी मेहनत से निराई गुडाई खाद देकर उपजाउ अवश्य बना रखा है। प्रार्थी वर्षो पूर्व आपसी सहमती से किये गये पारिवारिक स्तर के बंटवारे को अस्वीकार कर अप्रार्थी जवावदाता द्वारा अपने हक हिस्सा वंटसुदा भूमि को कडी मेहनत से उपजाउ बनाकर चारों ओर सुरक्षार्थ पुख्ता मेडवंदी वाडवंदी आदि कर रखी है को शामिल खातेदारी का वेजा फायदा उठाकर तोड फोड करवाकर नुकसान कारित करने पर आमदा है जिसका प्रार्थी को कोई हक अधिकार नहीं है। यदि वर्षो पूर्व से चले आ रहे बंट के विपरित भूमि को विभाजित करवाया जाता है तो अप्रार्थी जवाबदाता को अपूर्णिय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 गलत है। प्रार्थी के बिना किसी वादाधार व वाद कारण के ही उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है प्रार्थना पत्र का मद संख्या 6 कानूनी है प्रार्थना पत्र का मद संख्या 7 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 कानूनी है प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 जो कम न्याय शुल्क के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है आदि आदि जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभय पक्षकारान् के अधिवक्तागण की बहस अन्तिम सुनी गई। हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा प्राप्ती की पत्रावली एवं प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यों को दोहराते हूए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूर्तीय क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र एवं अपने प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 3 (क) (ख), 3क व 4 सपठित धारा 151 सी. पी. सी. के तथ्यों को दोहराते हूए निवेदन किया कि आदेश 39 नियम 4 के अनुसरण में व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त, उसमें फेरफार या उसे अपास्त किया जा सकेगा।

प्रार्थी को अपने पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती हेतू निम्नाकिंत तीन बिन्दु सिद्ध करने आवश्यक है:–

1 **प्रथम दृष्टया मामला ।**
2 **सुविधा का सन्तुलन ।**
3 **अपूर्णनीय क्षति ।**

लगातार..5

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबध में वकील प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष की और से अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हूए यह तर्क किया गया कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूर्तीय क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये।

—: प्रथम दृष्टया मामला :—

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये जाने हेतू जब उपरोक्त तीन बिन्दुओं की विरचना की जाती है उसमें यह विन्दु अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रकृति का बिन्दु होता है जिसे की तय करते समय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार किया जाना होता है कि वादगत सम्पति पर कब्जा किस किस पक्ष का है और यह कब्जा शान्तिपूर्ण और निर्विरोध रूप से चला आ रहा है या नहीं। हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यों, जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 03.06.2025 से जाहिर स्थिति प्रकट होती है कि नजरी नक्शा में दर्शितानुसार वादगत भूमि खेत खसरा नम्बर 643/535 रकवा 7.9673 हैक्टेयर में उतरी पाखी पूर्वी सींव से पश्चिमी सींव तक कब्जा काश्त डूँगरसिंह का, दक्षिणी पूर्वी पाखी गणपतसिंह तथा दक्षिणी पश्चिमी पाखी प्रतापसिंह के कब्जा काश्त में है तथा मौका रिपोर्ट प्रार्थी स्वयं के प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई है जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति अपील नहीं होने से मौका जांच रिपोर्ट निर्विवादित है इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में सावित होना प्रतीत होता है।

—: सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति :—

सुविधा का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति इन दोनो ही बिन्दूओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। सुविधा का संतुलन के संदर्भ में न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि किस पक्षकार को अधिक नुकसान या क्षति कारित हुई तथा अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू का निर्धारण करते हूए न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि जो क्षति कारित हूई है, उसकी गणना की जा सकती है या नहीं, और क्या उस क्षति की पूर्ती धन से की जा सकती है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यों, जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 03.06.2025 से जाहिर स्थिति प्रकट होती है कि नजरी नक्शा में दर्शितानुसार वादगत भूमि खेत खसरा नम्बर 643/535 रकबा 7.9673 हैक्टेयर में उतरी पाखी पूर्वी सींव से पश्चिमी सींव तक कब्जा काश्त डूँगरसिंह का, दक्षिणी पूर्वी पाखी गणपतसिंह तथा दक्षिणी पश्चिमी पाखी प्रतापसिंह के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का एक पक्षीय आदेश प्राप्त कर अप्रार्थीगण को अस्थाई तौर पर पाबन्द करवाया है जिससे अप्रार्थीगण के अधिकार वाधित हूए है। इस सदर्भ में न्यायालय का विनम्र मत इस प्रकार है कि चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त विवेचना के कम में तय किया गया है। इस प्रकार ये दोनो बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में तय किये जाते है।

लगातार 6

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तीनो विन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तीय क्षति, प्रार्थी पक्ष के विरूद्ध तय पाये गये है। जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती अस्वीकर किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 29/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
वीदासर (चूरू)